

14/11/24

पत्रावली पेश हुई समयपत्र पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 26/11/24 को पेश हो।

अवेस से रीडर

26/11/24

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी आधीवक्ता उपस्थित नहीं। वादी एवं वादी आधीवक्ता को निपमानुसार तीन बार आवाजें लगाई गई, पान्तु कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5-50 PM हो चुका है। वादी एवं वादी आधीवक्ता को न्यायाधीश में प्रुनः एक बार आवाज लगाई गई, पान्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी आधीवक्ता के उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रुनः वाद प्रुनः द्वारा 53 रजस्थान काशरकावी इतिनिष्ठ को अदम हावकी। अदम हावकी में प्रुनः कितावागत है। बिषय से इवलास सुनाया गया। पत्रावली केसल शुमार लेकर जाकेल रफ्तार हो। रिडी प्रुनः वादी हो तथा पत्रावली नबना से कम हो।

सहायक कलेक्टर  
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

**न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. काना पिता छोगा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी लापलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. तुलसीराम पिता परसा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी लापलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. हंजा बेवा उदा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी लापलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. रतनी पुत्री उदा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी लापलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

प्रकरण संख्या 30/2015 राजस्व वाद

वादी स्वयं एवं वादी अधिवक्ता श्री किशन लाल कुमावत उपस्थित नहीं - इस वाद में आज तारीख 26.11.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53-54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

  
**सहायक कलक्टर**  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा

अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-